

रजिस्ट्रार नं० HP/13/SMR/2001.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 जनवरी, 2002/4 माघ, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
निधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला 2, 24 जनवरी, 2002

संख्या एन०एल०आर०डी०(6)-24/2001-लज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23-1-2002 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक संख्यांक 22) को वर्ष 2002 के अधिनियम

संख्यांक 1 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

(रामेश्वर शर्मा),
सचिव।



राजपत्र हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

प्रकाशित करने वाले का नाम राजपत्र हिमाचल प्रदेश

प्रकाशक, राजपत्र, 24 जनवरी, 2002/4 माघ, 1923

प्रकाशक का नाम राजपत्र हिमाचल प्रदेश

प्रकाशक का पता

राजपत्र (असाधारण) हिमाचल प्रदेश

प्रकाशक का नाम

प्रकाशक का पता, 24 जनवरी, 2002

राजपत्र हिमाचल प्रदेश का प्रकाशन राजपत्र हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत है। राजपत्र हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राजपत्र हिमाचल प्रदेश का प्रकाशन राजपत्र हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत है। राजपत्र हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राजपत्र हिमाचल प्रदेश का प्रकाशन राजपत्र हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत है।

2002-24-1-2002-1, 420 (3896) राजपत्र हिमाचल प्रदेश

2001 का अधिनियम संख्यांक 1.

हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास विधेयक, 2001

(राज्यपाल द्वारा तारीख 23-1-2002 को यथा अनुमोदित)

अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण, विनिर्माण, अनुरक्षण और कार्यान्वयन में राज्य सरकार और सरकार के अधिकरणों से अन्यथा व्यक्तियों की भागीदारी के लिए स्पर्द्धा का उपबन्ध करने और सरकार की ओर से अवसंरचना विकास के लिए संसाधन जुटाने और इस प्रयोजन हेतु बोर्ड की स्थापना करने तथा इससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास अधिनियम, 2001 है ।

(2) इसका विस्तार-संपूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं को, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सरकार के अधिकरण द्वारा प्राइवेट सैक्टर की सहभागिता के माध्यम से कार्यान्वित हैं, और अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजनाओं और ऐसी अन्य अवसंरचना परियोजनाओं, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा अधिसूचित की गई हैं, के प्रवर्ग में आती हैं, को लागू होगा ।

(4) यह ऐसी तारीख को, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे, प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "पूंजी" से, बोर्ड के प्रयोजनों के लिए तत्समय जुटाई गई या जुटाई जाने के लिए प्राधिकृत पूंजी अभिप्रेत है ;

(घ) "रियायत करार या ठहराव" से, विकासक और सरकार या परियोजना से सम्बन्धित सरकार के अधिकरण के मध्य, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की सन्धिदा अभिप्रेत है ;

संक्षिप्त नाम,
विस्तार,
कार्यक्षेत्र
और
प्रारम्भ ।

परिभाषाएं ।

- (इ) "विकासक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके साथ सरकार या सरकार के अभिकरण द्वारा रियायत करार या ठहराव किया गया है ;
- (च) "निलम्ब लेखलेखा" से, ऐसा बैंक लेखा अभिप्रेत है जिसमें रियायत करार या ठहराव में विनिर्दिष्ट रीति में नकदी जमा की जाती है या जिससे नकदी निकाली जाती है ;
- (छ) "वित्तीय वर्ष" से, वह अवधि अभिप्रेत है जिसमें बोर्ड के कोई भी वार्षिक लेख इसके समक्ष रखे जाते हैं, चाहे वह अवधि वर्ष की है या नहीं ;
- (ज) "सरकार या राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (झ) "सरकार का अभिकरण" से, सरकारी विभाग या निगम या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय या किसी विधि के द्वारा या के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण, जिसके अन्तर्गत कोई स्थानीय प्राधिकरण भी है, अभिप्रेत है ;
- (ञ) "अवसंरचना योजना" से, अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट योजना द्वारा उपबंधित सविधाएं और सेवाएं अभिप्रेत हैं ;
- (ट) "विनिधान" से, प्रारम्भिक और पूर्व प्रवर्ती व्यय, पूंजीगत व्यय, पट्टे पर भूमि और उपस्कर, निर्माण के दौरान ब्याज, प्रशासनिक व्यय, राज्य सरकार या सरकार के अभिकरण के स्वामित्वाधीन विद्यमान अवसंरचना योजना के अर्जन पर व्यय, समस्त परिचालन और रख-रखाव व्यय सहित उपयोक्ता उद्ग्रहण की वसूली पर उपगत व्यय अभिप्रेत है ;
- (ठ) "स्थानीय प्राधिकरण" से, नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत, जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत अभिप्रेत है ;
- (ड) "सदस्य" से, बोर्ड के सदस्य सहित, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ढ) "प्राइवेट सैक्टर भागी" से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकार के अभिकरण से अन्यथा कोई व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के मध्य कोई संयुक्त उद्यम या कोई कानूनी निकाय या प्राधिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई निगम या कम्पनी अभिप्रेत है, जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकार के अभिकरण, कानूनी निकाय या प्राधिकरण या स्थानीय निकाय, इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समावृत्त शेयर पूंजी रखते हैं ;
- (ण) "प्राइवेट सैक्टर सहभागिता" से, प्राइवेट सैक्टर सहभागियों द्वारा राज्य में सरकार के अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण की अवसंरचना परियोजना में विनिधान अभिप्रेत है ;
- (त) "परियोजना" से, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट परियोजना अभिप्रेत है ;

- (ग) "विनियम" से, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;
- (द) "अनुसूची" से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (घ) "अनुसूचित बैंक" का वही अर्थ होगा जैसा इसका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खण्ड (ड) में है ;
- (न) "मुद्रा" से, बोर्ड की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत है ;
- (प) "विशेष प्रयोजन संस्था" से, सीमित विशेष प्रयोजन के साथ स्थापित स्वतन्त्र सत्व अभिप्रेत है ;
- (फ) "राज्य सरकार प्रत्याभूति" से, राज्य सरकार द्वारा किसी अभिकरण को दी गई प्रत्याभूति अभिप्रेत है ;
- (ब) "उपयोक्ता प्रभार" से, विकासक द्वारा उपबन्धित सुविधाओं और सेवाओं के उपयोग के लिए प्रभारित रकम अभिप्रेत है ; और
- (भ) "उपयोक्ता उद्ग्रहण" से, सरकार के अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विकासक को विनिधान बसूली और विनिधान पर उचित प्रतिवर्तन (अदायगी) का अधिकार या प्राधिकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पथकर, फीस, प्रभार या किसी नाम से ज्ञात प्रमुखिघा है ।

अध्याय-2

बोर्ड की स्थापना और गठन

3. (1) सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड के नाम से ज्ञात, बोर्ड का गठन कर सकेगी ।

बोर्ड की
स्थापना
और
निगमन ।

(2) बोर्ड पूर्वोक्त नाम का, शाश्वत उत्तराधिकार और अन्य सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

4. बोर्ड का मुख्यालय शिमला में होगा ।

बोर्ड का
मुख्यालय ।

5. बोर्ड का गठन निम्नलिखित से होगा,—

बोर्ड का
गठन ।

(क) सरकार का मुख्य सचिव, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) वित्त सचिव या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्य सरकार के समतुल्य पंक्ति के कोई अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे ;

(ग) सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दस से अनधिक सदस्य, जिसमें सरकार के ऊर्जा, लोक निर्माण, सिंचाई और जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना, पर्यटन, उद्योग, वित्त और योजना विभागों के सचिव सम्मिलित होंगे।

सदस्यों की पदावधि।

6. प्रत्येक सदस्य, राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

7. यदि बोर्ड या उसकी किसी समिति में मृत्यु, पदत्याग से या अन्यथा कोई रिक्ति होती है, तो उसे सरकार द्वारा यथाशक्य संभव भरा जाएगा।

बोर्ड की बैठकें।

8. (1) बोर्ड की बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी और वह उन बैठकों में अपने कारबार का संव्यवहार किए जाने के बारे में (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जैसे विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, या यदि किसी कारण से वह किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य बैठक में पीठासीन होगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न जो बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष आएँ, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन।

9. बोर्ड अपने साथ किसी भी व्यक्ति का सहयोजन कर सकेगा, जिसकी सहायता या परामर्श, इस अधिनियम के अधीन इसके किन्हीं कृत्यों के अनुपालन में अपेक्षित है।

समितियों का गठन।

10. बोर्ड अपने कृत्यों का पालन करने के लिए, कार्यपालिका समिति और सदस्यों की ऐसी संख्या से सम्मिलित अन्य ऐसी समितियां गठित कर सकेगा जो, विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएं।

अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समितियों की शक्ति।

11. बोर्ड का अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समितियां, ऐसी शक्तियों का उपयोग करेंगे, जैसे विनियमों द्वारा उपबन्धित की जाएं।

12. (1) बोर्ड अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जैसे यह आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेगा।

(2) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों का ढंग, विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाएगा।

13. बोर्ड या इसकी समितियों में से किसी का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, या

(ख) इसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय-3

बोर्ड के कृत्य

14. बोर्ड,—

(क) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट रियायत करार या ठहराव में से किसी पर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजनाओं में प्राइवेट सैक्टर सह-भागिता को समर्थ बनाएगा;

(ख) प्राइवेट सैक्टर सहभागिता हेतु उपयुक्त परियोजनाएं परिलक्षित करेगा;

(ग) प्राइवेट सैक्टर सहभागिता के लिए स्वयं या परियोजना विकास के कारबार में संलिप्त अभिकरणों के साथ मिलकर अथवा सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के साथ इस प्रयोजन के लिए किए गए करार के अनुसरण में, परियोजनाओं के विकास का जिम्मा लेगा;

(घ) परियोजनाओं के विकास हेतु किसी व्यक्ति को अनन्य अधिकार देने के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगा;

(ङ) परियोजना विकास हेतु किसी करार या ठहराव तथा खण्ड (ग) और (घ) के अधीन परियोजनाओं के विकास को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित रियायत करार या ठहराव के निबंधन निश्चित करेगा;

(च) इस अधिनियम में अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार खण्ड (ग) और (घ) के अनुसार, विकसित परियोजनाओं के विषय में प्राइवेट सैक्टर सहभागिता को आमन्त्रित करेगा तथा सरकार को इस विषय में समुचित सिफारिशें करेगा;

(छ) किसी रियायत करार या ठहराव के अधीन सम्भावित किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के सम्मिलन के लिए, परियोजना विकास का जिम्मा लेने या सहायता

बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

बोर्ड के कार्यों और कार्यवाहियों के विधिमान्य होने की उपधारणा।

बोर्ड के कृत्य।

के प्रयोजन के लिए और इसके अपने प्रशासनिक व्यय को सम्मिलित करके, इसके अन्य कृत्यों के अनुपालन के लिए और सरकार से शेर पूंजी या अनुदान या ऋण के रूप में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाता अभिकरणों, वित्तीय संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों को सम्मिलित करके अन्य साधनों से इस निधि के लिए अंशदान प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, निधि की व्यवस्था और प्रबन्ध करेगा;

- (ज) अवसंरचना परियोजनाओं और उनके कार्यान्वयन के ढंग में सार्वजनिक क्षेत्र की विद्यमान अवसंरचना परिसम्पत्तियों के निजीकरण या अपनियोजन से सम्बन्धित प्रश्नों सहित, प्राइवेट सैक्टर सहभागिता से सम्बन्धित नीति के समस्त मामलों पर सरकार या सरकार के अभिकरण को परामर्श देगा;
- (झ) इस अधिनियम के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय तथा प्रगति मानीटर करेगा;
- (ञ) राज्य सरकार की ओर से राज्य योजना के अधीन, वित्त विकास व्यय के संसाधन जुटाने के लिए विशेष प्रयोजन संस्था के रूप में कार्य करेगा और ऐसे विकास व्यय से राज्य सरकार को प्रोद्भूत राजस्व और अन्य प्राप्तियों से राज्य सरकार की ओर से बाध्यताओं का उन्मोचन भी करेगा; और
- (ट) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जैसे राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचना द्वारा सौंपे गए हों।

अध्याय-4

बोर्ड के कृत्यों के अनुपालन के लिए प्रक्रिया

परियोजनाएं
परिलक्षित
करने के
लिए
प्रक्रिया।

15. (1) धारा 14 के अनुसरण में प्राइवेट सैक्टर की अवसंरचना विकास में सहभागिता के लिए परियोजनाओं को परिलक्षित करने हेतु बोर्ड, सरकार के अभिकरणों या अवसंरचना परियोजनाओं के विकास या कार्यान्वयन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों के सुझावों के सम्बन्ध में विचार कर सकेगा।

(2) बोर्ड, उन परियोजनाओं को परिलक्षित करने के लिए जिन्हें प्राइवेट सैक्टर सहभागिता के लिए विकसित किया जा सकता है, धारा 16 में दिए रियायत करार या ठहराव के लिए प्राचलों के भीतर प्राइवेट सैक्टर सहभागिता के लिये स्वतः ऐसे प्राथमिक अन्वेषण करेगा या अपनी ओर से करवाएगा जो परियोजना की प्रथम दृष्टया उपयुक्तता स्थापित करने के लिए आवश्यक हो।

(3) सरकार के अभिकरण ऐसी परिलक्षित परियोजनाओं का विकास स्वयं या बोर्ड की सहायता से करने का विकल्प दे सकेंगे।

रियायत
करार या
ठहराव के
लिए
प्राचल।

16. रियायत करार या ठहराव के लिए निम्नलिखित प्राचल, प्राइवेट सैक्टर की सहभागिता आमन्त्रित करने के लिए परियोजना की, उपयुक्तता को परिभाषित करेंगे, अर्थात्:—

- (क) रियायत करार या ठहराव, प्राइवेट सैक्टर सहभागिता से चल रही परियोजना को सरकार या इसके अभिकरणों को, करार या ठहराव या परियोजना के कार्यान्वयन की तारीख से निम्नान्वे वर्ष की अवधि के अपश्चात्, अन्तरित करने का उपबन्ध कर सकेगा;

- (ख) रियायत करार या ठहराव, परियोजना लागत के बीस प्रतिशत के अधिकतम तक किसी भी परियोजना में सरकार या इसके अभिकरणों द्वारा वित्तीय सहभागिता के लिए उपबन्ध कर सकेगा और इस वित्तीय सहभागिता की वास्तविक प्रकृति और मात्रा, सम्बन्धित तत्परता की प्रक्रिया पर और इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में उपबन्धित प्रतियोगी बोली पर आधारित होगी ;
- (ग) रियायत करार या ठहराव, परियोजना के लिए -ऐसे प्रोत्साहनों हेतु उपबन्ध कर सकेगा जो प्राइवेट सैक्टर सहभागिता या विनिधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की सम्बन्धित केन्द्रीय नीति के अधीन अनुज्ञेय हैं ;
- (घ) रियायत करार या ठहराव, किसी परियोजना के सम्बन्ध में सरकार के किसी अभिकरण के दायित्व की बाबत, राज्य सरकार या सरकार के अभिकरणों द्वारा प्रत्याभूतियों के लिए उपबन्ध कर सकेगा ;
- (ङ) रियायत करार या ठहराव, राज्य सरकार या सरकार के किसी अभिकरण या किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा परियोजना के लिए किए जाने वाले किन्हीं संदायों के बारे में निलम्ब लेखलेखा (एस्को अकाउन्ट) खोलने और उसके संचालन के लिए उपबन्ध कर सकेगा ;
- (च) रियायत करार या ठहराव, परियोजना क्रियान्वयन के प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि और निजी भूमि के अर्जन के अन्तरण हेतु समुचित रीतियों और निबन्धनों के लिए उपबन्ध कर सकेगा ;
- (छ) रियायत करार या ठहराव, भूमि को, ऐसे प्रयोजनों के लिए जो सुसंगत परिस्थित के अधीन अनुज्ञेय हैं, विकसित करने के अधिकार के लिए उपबन्ध कर सकेगा ; और
- (ज) रियायत करार या ठहराव, परियोजना द्वारा प्रसुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रभारों के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध कर सकेगा ।

17. (1) बोर्ड, उस रीति का विनिश्चय करने के लिए जिसमें परिलक्षित परियोजना को, धारा 14 के अधीन उपलब्ध विकल्पों में से, प्राइवेट सैक्टर सहभागिता के लिए विकसित किया जाना है, अपने सामर्थ्य, अन्य अभिकरणों द्वारा सहयोग के लिए उपलब्ध प्रस्ताव और इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ किए गए किसी करार या ठहराव को ध्यान में रखेगा और ऐसी विशेष प्रयोजन संस्था, कम्पनियों या स्त्वों का, जो विनियमों द्वारा बिहित किए जाएं, स्वतः या संयुक्त सद्यमों के रूप में गठन करेगा ।

परियोजना विकास कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया ।

(2) बोर्ड, धारा 14 के अधीन, प्राइवेट सैक्टर सहभागिता द्वारा विकास परियोजना के लिए प्रस्ताव पर विचार करते समय, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्तियों पर विकास परियोजना के लिए प्रदत्त कोई अनन्य अधिकार, विनिर्दिष्ट अवधि तक सीमित है ।

रियायत
करार या
ठहराव में
जोखिम की
भांति ।

18. (1) बोर्ड, यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 14 के अधीन बोर्ड द्वारा सूत्रबद्ध किता गया कोई रियायत करार या ठहराव, धारा 16 में दिए गए प्रावलों के अनुरूप है और इसमें सम्बन्धित परियोजना से सहयुक्त जोखिम को सुबिचारित करने के लिए सभी आवश्यक प्रसंविदाएं अन्तर्विष्ट हैं ।

(2) रियायत करार या ठहराव, पणधारियों के जोखिम को सन्तुलित करने, कार्यक्षमता को बढ़ाने और लागत को न्यूनतम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम संबिधात्मक ढांचे के लिए प्रयास करेंगे, जैसे विनियमों द्वारा बिहित किए जाएं ।

बोर्ड द्वारा
परियोजना
कार्यान्वयन
के लिए
सत्त्वों का
गठन ।

19. बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन विकसित परियोजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार या इसके अभिकरणों के आदेष्टन के सम्बन्ध में, धारा 16 में अंकित शर्तों का अनुपालन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी विशेष प्रयोजन संस्थाओं, कम्पनियों या सत्त्वों का, जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं, स्वतः या संयुक्त उद्यम के रूप में गठन कर सकेगा ।

विकसित
परि-
ोजनाओं
में प्राइवेट
सैक्टर की
सहभागिता
आमंत्रित
करने के
लिए
प्रक्रिया ।

20. (1) बोर्ड, धारा 14 के अधीन सरकार को सिफारिशें करने और प्राइवेट सैक्टर सहभागिता आमन्त्रित करने में, चमन प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो पारदर्शिता और लागत प्रभाविता के स्वीकृत सिद्धान्तों का अनुसरण करती हों और बोर्ड उन अवस्थितियों को निर्धारित करने के विनियम बनाएगा जिनमें प्रतियोगी बोली रीति या अन्य रीतियों का अनुसरण किया जाएगा ।

(2) बोर्ड, धारा 14 के अधीन विकसित परियोजना की बाबत प्राइवेट सैक्टर सहभागिता के विषय में सिफारिश करते समय, परियोजना विकसित करने वाले व्यक्ति को इन्कार का प्रथम अधिकार प्रदान करने की सिफारिश करेगा, तथापि ऐसे प्रथम इन्कार का अधिकार, ऐसी समुचित प्रक्रिया के आधार पर दिया जाएगा जो पारदर्शिता और लागत प्रभाविता के स्वीकृत सिद्धान्तों का अनुसरण करता है ।

फीस ।

21. (1) बोर्ड, अपने किन्हीं कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए, ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा जैसी विनियमों या इसके द्वारा किए गए किसी करार के निबंधनो या ठहराव द्वारा बिहित हो ।

(2) बोर्ड, धारा 14 के अधीन परियोजना विकसित करने वाले किसी व्यक्ति को, फीस के रूप में सन्नरूप रकम प्राप्त करने की भी अनुज्ञा दे सकेगा, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा विकसित परियोजना का, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिम्मा ले लिया जाता है ।

संसाधन
जुटाने की
प्रक्रिया ।

22. (1) धारा 14 के अनुसरण में, राज्य योजना के अधीन विकास व्यय का वित्तपोषण करने के लिए संसाधन जुटाने हेतु, बोर्ड, पारदर्शिता और लागत प्रभाविता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता से संगत प्रक्रिया अपनाएगा ।

(2) बोर्ड, इस कृत्य का अनुपालन करने के लिए, मान्यता प्राप्त वित्त संस्थानों और प्रतिष्ठित विन्यासकों की सहायता ले सकेगा ।

अध्याय-5

वित्त, लेखे, संपरीक्षा और वार्षिक रिपोर्टें

23. (1) बोर्ड की अपनी एक निधि होगी और सभी प्राप्तियां और राशियां, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर, राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण से प्राप्त की जा सकेंगी तथा धारा 21 के अधीन बोर्ड द्वारा प्रभारित रकम, उस में जमा की जाएगी और बोर्ड के सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।

बोर्ड की निधि।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, बोर्ड को, ऐसी राशियां जैसी वह प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने और इस के कृत्यों के अनुपालन के लिए उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी, और ऐसी राशियां बोर्ड की निधि से संदेय व्यय के रूप में मानी जाएंगी।

(3) बोर्ड के लेखे में जमा समस्त धन, जो उप-धारा (2) में यथा उपबंधित के अनुसार तुरन्त उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, अनुसूचित बैंक या बैंकों या राज्य सरकार के लोक लेखे में निक्षिप्त किया जाएगा या उसे ऐसी अन्य रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों में अंतर्वलित हैं, परिनियोजित किया जा सकेगा।

24. सरकार इस निमित्त विधान मण्डल द्वारा, विधि द्वारा किए गए सम्बन्ध विनियोग के पश्चात्, निम्नलिखित कर सकेगी, —

सरकार द्वारा बोर्ड को अति-रिक्त पूंजी और अनुदान।

(क) सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों के परिसमापन से उद्भूत किसी भी प्रकार की पूंजी से अधिक किसी पूंजी की, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें सरकार निर्धारित कर सकेगी, व्यवस्था करना, जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए या उससे सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो; और

(ख) बोर्ड को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऋण या अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशियां संदत्त करना, जिन्हें सरकार अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा इसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

25. (1) बोर्ड, सरकार की सहमति या सरकार द्वारा प्रदत्त इसे किसी प्रकार के साधारण या विशेष प्राधिकार के निबंधनों के अनुसार बंधपत्र, डिबेन्चर जारी करके, ऋण द्वारा या अन्य ऐसी लिखितों द्वारा किसी भी स्त्रोत से धन उधार ले सकेगा, जैसा यह इस अधिनियम के अधीन अपने समस्त या किन्हीं कृत्यों के निर्वहन करने के लिए उचित समझता हो।

बोर्ड की उधार लेने की शक्ति।

(2) सरकार, उप-धारा (1) के अधीन, बोर्ड द्वारा उधार लिए गए ऋण की बाबत, मूलधन का प्रतिसंदाय और इस पर ब्याज के संदाय के लिए ऐसी रीति में, जैसी यह ठीक समझे, प्रत्याभूति दे सकेगी।

(3) बोर्ड, ऐसी परिसीमाओं के अध्यधीन, जैसी सरकार समय-समय पर अधिकांशित करे, अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) द्वारा अस्थायी रूप में या अन्वया ऐसी रकमें

उधार ले सकेगा, जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के निर्वहन करने के लिए अपेक्षा करे।

लेखे और
संपरीक्षा।

26 (1) बोर्ड के लेखे, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तैयार किए और रखे जाएंगे जैसे विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, लेखों का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करवाएगा जैसा विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए।

(3) बोर्ड के लेखों की संपरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अधीन, कम्पनी का संपरीक्षक के रूप में कार्य करने को सम्यक् रूप से अहित किसी संपरीक्षक द्वारा की जाएगी।

1956 का

(4) संपरीक्षक, लेखों की परीक्षित प्रति सहित रिपोर्टों को एक प्रति, बोर्ड को भेजेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य सरकार को अर्पित करेगा।

(5) राज्य सरकार, लेखों की परीक्षित प्रति सहित संपरीक्षा रिपोर्ट को, उप-धारा (4) के अधीन उसकी प्राप्ति के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक
रिपोर्ट।

27. (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसी रीति में और ऐसे समय पर जैसा विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान के क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण और चालू वित्तीय वर्ष में इसके द्वारा सम्भाव्य प्रारम्भ किए जाने वाले क्रियाकलापों का विवरण देते हुए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्रतियां, राज्य सरकार को अर्पित की जाएंगी।

(2) राज्य सरकार, उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट को प्राप्त करने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

सरकार के
स्वामित्वा-
धीन
कम्पनियों
का
परिसमापन
और बोर्ड
की परि-
सम्पतियों
तथा
देनदारियों
का
अन्तरण।

28. (1) सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों का परिसमापन, कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

1956 का 1

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अध्याधीन ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे;

1956 का 1

(i) सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों में निहित समस्त सम्पतियां और अन्य परिसम्पतियां, ऐसी तारीख से तुरन्त पूर्व, बोर्ड में निहित होंगी;

(ii) ऐसी तारीख से ठीक पूर्व, सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों के लिए या उसके साथ उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और देनदारियां, की गई सभी संविदाएं तथा किए जाने के लिए बचनबद्ध सभी विषय और चीजें, बोर्ड द्वारा उसके साथ या उसके लिए उपगत की गई या किए जाने के लिए बचनबद्ध समझी जाएंगी;

- (iii) ऐसी तारीख तक सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों द्वारा, उस तारीख तक उपगत और सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों द्वारा पूंजीगत व्यय के रूप में घोषित सभी अनावर्ती व्यय, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्वधीन जो सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, सरकार द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करवाई गई पूंजी के रूप में माने जाएंगे ;
- (iv) ऐसी तारीख से ठीक पूर्व, सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों को देय सभी धन राशियां, बोर्ड को देय समझी जाएंगी ;
- (v) ऐसी तारीख से ठीक पूर्व, सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों को द्वारा या उनके विरुद्ध संस्थित या जो संस्थित की गई होती सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जा सकेंगी ;
- (vi) ऐसी तारीख से ठीक पूर्व, सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों के अधीन, किसी पद को धारण करने वाले सभी कर्मचारी, बोर्ड के कर्मचारी समझे जाएंगे और बोर्ड में सेवा के उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर पद को धारण करेंगे जो उन्हें पहले लागू थीं ।

(3) यदि कोई ऐसा विवाद या ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि इस धारा के अधीन सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों की कौन सी सम्पत्तियां, अधिकार या देनदारियां, बोर्ड को अंतरित की गई हैं या सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियों के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से, जिन्हें बोर्ड के कर्मचारी के रूप में माना जाना है, तो ऐसा विवाद या ऐसी शंका का विनिश्चय बोर्ड के परामर्श से, सरकार द्वारा किया जाएगा और सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

1956 का 1

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "सरकार के स्वामित्वाधीन कम्पनियां" पद से, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्गमित हिमाचल प्रदेश पथ और अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित और हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य पद्धति निगम सीमित, अभिप्रेत है ।

29. बोर्ड के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हों या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं ।

सदस्यों,
अधिकारियों,
और
कर्मचारियों
का लोक
सेवक
होना ।

30. इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध न होगी ।

सद्भाव में
की गई
कार्रवाई
के लिए
संरक्षण ।

माध्यस्थम् । 31. बोर्ड द्वारा किए गए समस्त करारों या ठहरावों में, निम्नलिखित का उपबन्ध करते हुए, एक माध्यस्थम् खण्ड होगा,—

- (क) कि करार के समस्त पक्षकार, किसी विवाद को माध्यस्थम् को प्रस्तुत करेंगे जो उनके मध्य करार या ठहराव के उपबन्धों के कारण उत्पन्न हों;
- (ख) माध्यस्थम् का स्थान, शिमला में या पक्षकारों द्वारा सहमति से, भारत में किसी अन्य स्थान पर होगा; और
- (ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट विवाद, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार विनिश्चित होंगे ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

32. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों ।

(2) किसी विशेष या पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) समय और स्थान जहां बोर्ड की बैठक होगी और धारा 8 के अधीन इसकी बैठक में इसके कारबार के संव्यवहार के बारे प्रक्रिया के नियमों का पालन ;
- (ख) समितियां, जिनका बोर्ड गठन कर सकेगा, सदस्यों की संख्या जिनसे कार्यकारी समिति और समितियां गठित हो सकेंगी और बोर्ड के कृत्य, जिनका वे धारा 10 के अधीन पालन कर सकेंगे;
- (ग) धारा 11 के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और समिति की शक्तियां;
- (घ) धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ;
- (ङ) धारा 14 के अधीन सरकार के किसी अभिकरण की परिसम्पत्तियों के अपनियोजन की प्रक्रिया;
- (च) धारा 16 के अधीन प्रतियोजित बोली का विनियमन करना;
- (छ) ऐसी रीति का विनिश्चय करना जिसमें धारा 17 के अधीन प्राइवेट सैक्टर सहभागिता के लिए परिलक्षित परियोजना को विकसित किया जाना है;
- (ज) धारा 18 के अधीन विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं से सम्बद्ध जोखिमों के साथ निपटने के लिए प्रक्रिया;
- (झ) धारा 20 के अधीन प्रतियोगिता बोली की रीति या अपनाए जाने वाले अन्य ढंग;
- (ञ) धारा 21 के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस;

(द) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के लेखे तैयार और अनुरक्षित किए जाएंगे;

(ड) ऐसा प्ररूप, जिसमें धारा 26 की उप-धारा (2) के अधीन बोर्ड के लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार की जाएगी; और

(ड) ऐसा प्ररूप, जिसमें और समय जिसमें, धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

अनुसूची 1

[धारा 1(3) देखें]

अवसंरचना परियोजनाएं

1. सड़कों, पुलों, उपमार्गों और संबद्ध सड़क अवसंरचना सहित, राज्य के राजमार्ग।
2. अंतर्देशीय जलपथ।
3. ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण पद्धति परियोजनाएं।
4. बांधों, जल भंडारण, जल प्रदाय और मल पद्धति परियोजनाओं सहित, ऊर्जा परियोजनाएं।
5. गैस पाईप लाईनें और संबन्धित सुविधाएं।
6. व्यापारिक एवं वाणिज्यिक परिसरों, पार्किंग स्थलों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परिवहन सुविधाओं इत्यादि सहित, शहरी अवसंरचना।
7. सैरगाह (रिजोर्ट), साहस और शरद ऋतु खेल सुविधाओं, केबलकारों और स्कीलिफ्टों, मनोरंजन परिसरों इत्यादि सहित पर्यटन परियोजनाएं।
8. पार्कों के विकास सहित औद्योगिक सम्पदा, औद्योगिक क्षेत्र, पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसी परियोजनाओं को सुविधाएं प्रदान करना।
9. सामान्य प्रयोजन, वास्तविक सम्पदा सौंपने या शिक्षा, स्वास्थ्य, सैरगाह या मनोरंजन सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने वाली सैटेलाइट टाऊनशिप।
10. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अवसंरचना परियोजनाएं।

अनुसूची 2

[धारा 2 (ग) और 15 (क) देखें]

रियायत के लिए करार या ठहराव की प्रकृति

प्राइवेट सैक्टर की भागीदारी से अवसंरचना परियोजना को हाथ में लेने हेतु सरकार के अभिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा फेरफार या संयोजनों सहित, निम्न-लिखित रियायत या ठहराव किए जा सकेंगे :—

1. करार या ठहराव का स्वयं बनाना/संचालन और अन्तरण.—कोई करार या ठहराव जिसके द्वारा विकासक किसी परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण, रख-रखाव और संचालन का जिम्मा लेता है और जिससे ऐसी परियोजना विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विकासक में निहित होनी है। विकासक द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान उसे, करार या ठहराव में विनिर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। विकासक से यह अपेक्षित होगा कि वह कार्यान्वयन अवधि के

अवसान के पश्चात्, परियोजना को राज्य सरकार या सरकार के अधिकरण को अन्तरित कर दे ।

2. करार या ठहराव का स्वयं बर्ताना/संचालन और अनुरक्षण.—कोई करार या ठहराव जिसके द्वारा, विकासक किसी परियोजना के वित्तपोषण, निर्माण, रख-रखाव और संचालन का जिम्मा लेता है और जिससे ऐसी परियोजना, विकासक में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निहित होनी है । परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान उसे करार या ठहराव में विनिर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

3. पट्टा प्रबन्धन करार या ठहराव.—कोई करार या ठहराव जिसके द्वारा, राज्य सरकार या सरकार का अधिकरण किसी परियोजना को, जो सरकार या सरकार के अधिकरण के स्वामित्व में है, किसी व्यक्ति को पट्टे पर देता है जिसे करार या ठहराव में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजना के कार्यान्वयन और उसके लिए उपयोक्ता प्रभार लेने हेतु अनुज्ञात है ।

4. पुनर्वास/कार्यान्वयन और अन्तरण करार या ठहराव.—कोई करार या ठहराव जिसके द्वारा, विद्यमान परियोजना करार या ठहराव में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पुनरुद्धार कार्यान्वयन और रख-रखाव के लिए किसी व्यक्ति में निहित है और उस अवधि के अवसान के पश्चात्, परियोजना को राज्य सरकार या सरकार के अधिकरण में अन्तरित करना अपेक्षित होगा । परियोजना के विकासक द्वारा कार्यान्वयन की अवधि के दौरान उसे करार या ठहराव में क्याविनिर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार लेने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

5. पुनर्वास, करार या ठहराव का स्वयं संचालन और अनुरक्षण.—कोई करार या ठहराव जिसके द्वारा, विद्यमान परियोजना पुनरुद्धार, कार्यान्वयन और रख-रखाव के लिए किसी व्यक्ति में निहित है । विकासक को करार या ठहराव में क्याविनिर्दिष्ट उपयोक्ता प्रभार लेने की अनुज्ञा होगी ।

6. प्रबन्धन करार या ठहराव.—कोई करार या ठहराव जिसके द्वारा, राज्य सरकार या सरकार का अधिकरण किसी परियोजना का कार्यान्वयन और प्रबन्धन, किसी व्यक्ति को, विनिर्दिष्ट प्रतिफल के संदाय पर, करार या ठहराव में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, सौंपती है । ऐसे करार या ठहराव में राज्य सरकार या सरकार का सम्बंधित अधिकरण, उपयोक्ता प्रभार ले सकेगा और उसका संग्रहण या तो स्वयं करेगा या उसके संग्रहण को प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति को सौंपेगा, जो उपयोक्ता प्रभारों का संग्रहण कर उन्हें राज्य सरकार या सरकार के अधिकरण को संदत्त करेगा ।

7. सेवा संबद्ध करार या ठहराव.—कोई करार या ठहराव जिसके द्वारा विकासक, राज्य सरकार या सरकार के अधिकरण को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सेवाएं उपलब्ध करवाने का जिम्मा लेता है । राज्य सरकार और सरकार का अधिकरण उसे करार या ठहराव के अनुसार रकम संदत्त करेगा ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 1 of 2002.

THE HIMACHAL PRADESH INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ACT, 2001

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 23RD DAY OF JANUARY, 2002.)

ACT

to provide for a framework for participation by persons other than the State Government and Government agencies in financing, construction, maintenance and operation of infrastructure projects and to raise resources on behalf of the State Government for infrastructure development and for that purpose to establish a Board and to provide for the matters relating thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Infrastructure Development Act, 2001.

Short title, extent, scope and commencement.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall apply to such infrastructure projects as are implemented by a Government agency through private sector participation under the provisions of this Act and fall in the category of infrastructure projects specified in Schedule-I and such other infrastructure projects as are notified by the State Government, by notification, from time to time.

(4) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Infrastructure Development Act, 2001;

(b) "Board" means the Himachal Pradesh Infrastructure Development Board established under section 3 of this Act;

(c) "Capital" means the Capital for the time being raised or authorised to be raised for the purposes of the Board;

(d) "concession agreement or arrangement" means a contract of the nature specified in Schedule-II between a developer and the Government or a Government agency relating to a project;

- (e) "developer" means a person with whom a concession agreement or arrangement is entered into by the Government or a Government agency;
- (f) "escrow account" means a bank account in which cash is deposited or from which cash is withdrawn in such manner as specified in the concession agreement or arrangement;
- (g) "Financial year" means the period in respect of which any annual accounts of the Board is laid before it, whether that period is a year or not;
- (h) "Government or State Government" means Government of Himachal Pradesh;
- (i) "Government agency" means a Government Department or a Corporation or a body owned or controlled by the Government or an authority established by or under any law and includes a local authority;
- (j) "infrastructure project" means facilities and services provided by a project, specified in Schedule-I;
- (k) "investment" means preliminary and preoperative expenses, capital expenditure, lease on land and equipment, interest during construction, administrative expenses, expenditure on acquisition of an existing infrastructure project owned by the State Government or a Government agency, all operating and maintenance expenses including expenses incurred on recovery of user levies;
- (l) "local authority" means a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Panchayat, Zila Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat;
- (m) "member" means a member of the Board including Chairman and Chief Executive Officer;
- (n) "private sector participant" means any person other than Central Government or State Government or Government Agency or any joint venture between Central Government or State Government Departments or any Statutory Body or Authority or Local Authority or any Corporation or Company in which Central Government or State Government or Government Agency, Statutory Body or Authority or local body is holding not less than 51% paid up share capital;
- (o) "private sector participation" means investment by a private sector participant in an infrastructure project of the Government agency or the local authority in the State;
- (p) "project" means project specified in Schedule-I;
- (q) "regulations" means regulations made by the Board under this Act;

2 of 1934

- (r) "Schedule" means Schedule appended to this Act;
- (s) "Scheduled Bank" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934;
- (t) "seal" means the common seal of the Board;
- (u) "special purpose vehicle" means an independent entity set up with the limited special purpose;
- (v) "State Government guarantee" means a guarantee given by the State Government to any agency;
- (w) "user charges" means the amount charged for the use of facilities and services provided by the developer; and
- (x) "user levies" means the right or authority granted to the developer by the Government agency or the local authority to recover investment and fair return on investment and shall include toll, fee, charge or benefit by any name.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF THE BOARD

3. (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the Government may, by notification in the Official Gazette, establish a Board to be called the Himachal Pradesh Infrastructure Development Board with effect from such date as may be specified in the notification.

Establishment and incorporation of the Board.

(2) The Board shall be body corporate by name aforesaid having a perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose off property both movable and immovable and to contract and shall by the said name sue and be sued.

4. The Headquarter of the Board shall be at Shimla.

Headquarter of the Board.

5. The Board shall consist of,—

Constitution of Board.

- (a) the Chief Secretary to the Government who shall be the Chairperson;
- (b) the Finance Secretary or any State Government officer of other equivalent rank shall be the Chief Executive Officer, to be appointed by the State Government, by notification;
- (c) not exceeding ten other members, which shall include Secretaries to the Government in the Departments of Power, Public Works, Irrigation and Public Health, Urban Development, Town and Country Planning, Tourism, Industry, Finance

- and Planning, to be appointed by the Government, by notification.
- Term of office of members.** 6. Every member shall hold office during the pleasure of the State Government.
- Filling up of casual vacancies.** 7. If any vacancy arises in the Board or in any committee thereof by reason of death, resignation or otherwise, the same shall be filled up by the Government as soon as possible.
- Meetings of Board.** 8. (1) The Board shall meet at such time and place and shall observe such rules of procedure in regard to transaction of its business at its meeting (including the quorum at such meeting) as may be provided by regulations.
- (2) The Chairperson, or, if for any reason, he is unable to attend any meeting, any other member chosen by the members present at the meeting, shall preside over the meeting.
- (3) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting, and, in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.
- Temporary association of persons with Board.** 9. The Board may associate with itself any person whose assistance or advice is required in performing any of its functions under this Act.
- Constitution of Committees.** 10. The Board may constitute an Executive Committee and such other committees consisting of such number of members for performing such of its functions, as may be provided by regulations.
- Powers of Chairperson, Chief Executive Officer and Committees.** 11. The Chairperson, Chief Executive Officer and Committees of the Board shall exercise such powers as may be provided by regulations.
- Appointment of officers and other employees of the Board.** 12. (1) The Board may appoint such officers and other employees, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions.
- (2) The mode of recruitment, salary and allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board shall be provided by regulations.
- Acts and proceedings of Board presumed to be valid.** 13. No act or proceeding of the Board or of any of its committees shall be invalid merely by reason of—
- (a) any vacancy therein or any defect in the constitution thereof, or
- (b) any irregularity in its procedure not affecting the merit of the case.

CHAPTER-III

FUNCTIONS OF BOARD

14. The Board shall,—

Functions
of Board.

- (a) enable the private sector participation in infrastructure projects specified in Schedule-I on any of the concession agreement or arrangement specified in Schedule-II;
- (b) identify suitable projects for private sector participation;
- (c) undertake the development of projects for private sector participation on its own or in association with agencies engaging in the business of project development or in pursuance of any agreement entered into for this purpose by the Government with any person;
- (d) consider proposals to give exclusive rights to any person to develop projects;
- (e) formulate the terms of any agreement or arrangement for project development and any concession agreement or arrangements required for the implementation of projects developed under clauses (c) and (d);
- (f) invite private sector participation in respect of projects developed as per clauses (c) and (d), as per the procedure laid down in this Act and make appropriate recommendations to the Government in the matter;
- (g) administer and manage a fund for the purpose of undertaking or assisting in project development for meeting any financial commitments envisaged under any concession agreement or arrangement and for the performance of its other functions including its own administrative expenditure and to secure contributions to this fund in the form of share capital or grants or loans from Government and other sources including bilateral and multilateral donor agencies, financial institutions and commercial banks;
- (h) advise the Government or a Government Agency on all matters of policy relating to private sector participation in infrastructure projects and their mode of implementation including issues relating to privatisation or disinvestment of the existing infrastructure assets of the public sector;
- (i) co-ordinate the implementation of and monitor the progress of infrastructure projects undertaken in the State of Himachal Pradesh under this Act;
- (j) act as a special purpose vehicle to raise resources to finance development expenditure under the State Plan on behalf of the State Government and also to discharge obligations on this account on behalf of the State Government from revenue

and other receipts accruing to the State Government from such development expenditure; and

- (k) perform such other functions as may be entrusted to it by the State Government, by notification.

CHAPTER-IV

PROCEDURE FOR PERFORMANCE OF FUNCTIONS OF THE BOARD

Procedure for identifying Projects.

15. (1) For the identification of projects for private sector participation in infrastructure development in pursuance of section 14, the Board may consider suggestions from Government agencies or persons engaged in the business of developing or implementing infrastructure projects.

(2) The Board may itself conduct or have conducted on its behalf such preliminary investigations as are necessary to establish the *prima facie* suitability of the project for private sector participation within the parameters for a concession agreement or arrangement given in section 16 in identifying the projects which can be developed for private sector participation.

(3) The Government agencies may opt to undertake the development of such identified projects on their own or with the assistance of the Board.

Parameters for concession agreement or arrangement.

16. The following parameters for a concession agreement or arrangement shall define the suitability of a project for inviting private sector participation, namely:—

- (a) the concession agreement or arrangement may provide for the transfer of a project taken up with private sector participation, to the Government or its agencies not later than a period of 99 years from the date of agreement or arrangement of implementation of a project;
- (b) the concession agreement or arrangement may provide for financial participation by the Government or its agencies in any project up to a maximum of 20% of the project cost and the actual nature and quantum of this financial participation shall be based on the processes of due diligence and competitive bidding provided in the regulations framed by the Board for this purpose;
- (c) the concession agreement or arrangement may provide for such incentives to the project as are admissible under the concerned sectoral policy of the Government to promote private sector participation or investment;
- (d) the concession agreement or arrangement may provide for guarantees by the State Government or Government agencies in respect of liability of any Government agency with regard to a project;

- (e) the concession agreement or arrangement may provide for the opening and operation of an escrow account with respect to any payments to be made to the project by the State Government or any Government agency or any other person or persons;
- (f) the concession agreement or arrangement may provide for appropriate modes and terms for transfer of Government land and acquisition of private land for the purposes of project implementation;
- (g) the concession agreement or arrangement may provide for right to develop land for such purposes as are admissible under the relevant statute; and
- (h) the concession agreement or arrangement may provide for the levy of the charges for the facilities or services provided by the project.

17. (1) In deciding the manner in which an identified project is to be developed for private sector participation from amongst the options available under section 14, the Board shall have regard to its own capabilities, offers available for collaboration by other agencies and any agreement or arrangement entered into by the Government for this purpose with any person and form such special purpose vehicles, companies or entities on its own or as joint ventures as may be prescribed by regulations.

Procedure for implementing project development.

(2) In considering a proposal for project development by private sector participation under section 14, the Board shall ensure that any exclusive right for project development conferred on such persons is limited to a specified period.

18. (1) The Board shall ensure that any concession agreement or arrangement formulated by the Board under section 14 is in consonance with the parameters given in section 16 and contains all necessary covenants to take care of the risks associated with the concerned project.

Coverage of risks in concession agreement or arrangement.

(2) The concession agreement or arrangement shall strive for the optimum contractual structure with regard to the need to balance the risks of stakeholders, maximize efficiency and minimize costs as may be prescribed by regulations.

19. In order to ensure implementation of a project developed under this Act, the Board may form such special purpose vehicles, companies or entities on its own or as joint ventures as are deemed necessary for this purpose, keeping in view the need to comply with the conditions outlined in section 16 with regard to the involvement of Government or its agencies.

Board to form entities for project implementation.

20. (1) In inviting private sector participation and making recommendations to the Government under section 14, the Board shall follow a selection process, which adheres to accepted norms of transparency and cost effectiveness and the Board shall frame the regulations to lay down the situations where competitive bidding method or other methods shall be followed.

Procedure for inviting private sector participation in developed projects.

(2) In making a recommendation with regard to a private sector participant with respect to a project developed under section 14, the Board may recommend grant of first right of refusal to the person developing the project, however, such first right of refusal shall be granted only on the basis of an appropriate procedure, which adheres to accepted norms of transparency and cost effectiveness.

Fee.

21. (1) The Board may charge such fee, for carrying out any of its functions, as prescribed by regulations or in terms of any agreement or arrangement entered into by it.

(2) The Board may also permit any person developing a project under section 14 to receive a similar amount as fee, if the project developed by such a person is undertaken by any other person.

Procedure to raise resources.

22. (1) For raising of resources for financing development expenditure under the State Plan in pursuance of section 14, the Board shall make procedure consistent with the need to ensure transparency and cost effectiveness.

(2) The Board may take the assistance of recognised financial institutions and reputed arrangers in performing this function.

CHAPTER-V

FINANCE, ACCOUNTS, AUDIT AND ANNUAL REPORT

Fund of Board.

23. (1) The Board shall have its own fund and all receipts and sums which may, from time to time, be received by the Board from the State Government or any other person or agency and the amount charged by the Board under section 21, shall be credited thereto and all payments of the Board shall be made therefrom.

(2) The Board shall have the power, subject to the provisions of this Act, to spend such sums as it thinks fit to cover administrative expenses and for the performance of its functions and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund of the Board.

(3) All money standing at the credit of the Board which cannot immediately be applied as provided in sub-section (2), shall be deposited in the Scheduled Bank or Banks or in the Public Account of the State Government or may be deployed in such other manner and subject to such conditions as are contained in regulations framed by the Board for this purpose.

Additional Capital and Grants to the Board by the Government.

24. The Government may, after due appropriation made by Legislature by law in this behalf,—

(a) provide any capital, over and above the capital arising out of the winding up of the Government Owned Companies, that may be required by the Board for the discharge of its functions under this Act or for any purpose connected therewith on such terms and conditions as the Government may determine; and

- (b) pay to the Board, on such terms and conditions as the Government may determine, by way of loans or grants such sums of money as the Government may consider necessary for the efficient discharge by the Board of its functions under this Act.

25. (1) The Board may, with the consent of the Government or in accordance with the terms of any general or special authority given to it by the Government, borrow money from any source by the issue of bonds, debentures, loans or such other instruments as it may deem fit for discharging all or any of its functions under this Act.

Borrowing
Power of
the Board.

(2) The Government may guarantee in such manner as it thinks fit for the repayment of the principal and the payment of interest thereon with respect to the loans borrowed by the Board under sub-section (1).

(3) Subject to such limits as the Government may, from time to time, lay down, the Board may borrow temporarily by way of overdraft or otherwise such amounts as it may require for discharging its functions under this Act.

26. (1) The accounts of the Board shall be prepared and maintained in such form and in such manner as may be provided by regulations.

Accounts
and Audit.

(2) The Board shall cause to be prepared for each Financial year an annual statement of accounts in such form as may be provided by regulations.

(3) The accounts of the Board shall be audited by an auditor duly qualified to act as an auditor of Companies under section 226 of the Companies Act, 1956.

1 of 1956

(4) The auditor shall send copy of the report together with audited copy of accounts to the Board which shall, as soon as may be, after the receipt of the audit report forward the same to the State Government.

(5) The State Government shall cause the audit report together with audited copy of accounts to be laid before the State Legislature, as soon as may be, after the receipt of the same under sub-section (4).

27. (1) The Board shall during each Financial year prepare in such form and at such time as may be provided by regulations, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous Financial year and an account of the activities likely to be undertaken by it in current Financial year and copies of such report shall be forwarded to the State Government.

Annual
Report.

(2) The State Government shall cause every such report to be laid before the State Legislature, as soon as may be, after the receipt of the report under sub-section (1).

CHAPTER-IV
MISCELLANEOUS

Winding up of the Government Owned Companies and transfer of assets and liabilities to the Board.

28. (1) The Government Owned Companies shall be wound up in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956.

1 of 1956

(2) Subject to the provisions of Companies Act, 1956, from such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint,—

1 of 1956

- (i) all properties and other assets vested in the Government Owned Companies, immediately before such date, shall vest in the Board;
- (ii) all debts, obligations and liabilities incurred, all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with, or for the Government Owned Companies, immediately before such date, shall be deemed to have been incurred, entered into and engaged to be done by, with or for the Board;
- (iii) all non-recurring expenditure incurred by Government Owned Companies up to such date and declared to be capital expenditure by the Government Owned Companies shall, subject to such terms and conditions as may be determined by the Government, be treated as the capital provided by the Government to the Board;
- (iv) all sums of money due to the Government Owned Companies, immediately before such date, shall be deemed to be due to the Board;
- (v) all suits and other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the Government Owned Companies, immediately before such date, may be continued or instituted by or against the Board;
- (vi) all the employees holding any office under the Government Owned Companies, immediately before such date, shall be treated as employees of the Board and shall hold office in the Board on the same terms and conditions of service which were applicable to them.

(3) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the Government Owned Companies transferred to the Board or as to which of the employees serving under the Government Owned Companies are to be treated as employees of the Board, under this section, such dispute or doubt shall be decided by the Government in consultation with the Board and the decision of the Government shall be final.

Explanation.—For the purpose of this Act, the expression "Government Owned Companies" shall mean the Himachal Pradesh Road and Other Infrastructure Development Corporation Limited and H. P. Health Systems Corporation Limited incorporated under the Companies Act, 1956.

1 of 1956

45 of 1860

29. All members, officers and servants of the Board shall, while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or any regulations made thereunder, be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Members, officers and servants to be public servants.

30. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Board or any member or officer or servant of the Board for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or regulations made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

31. All agreements or arrangements entered into by the Board shall contain an arbitration clause providing that,—

Arbitration.

- (a) all parties to the agreement shall submit to arbitration any disputes which may arise between them out of the provisions of the agreement or arrangement;
- (b) the place of arbitration shall be at Shimla or any other place in India agreed to by the parties ; and
- (c) the disputes referred to in clause (a) shall be decided in accordance with the law for the time being in force.

32. (1) The Board may make regulations not inconsistent with provisions of this Act for enabling it to discharge its functions under this Act.

Power to make regulations.

(2) In particular and without prejudice to the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the time and the place at which the Board shall meet and rules of procedure, the Board shall observe in regard to transaction of its business at its meeting under section 8 ;
- (b) the committees which the Board may constitute, the number of members which the Executive Committee and other Committees may consist of and the functions of the Board which they may perform under section 10 ;
- (c) the powers of the Chairperson, Chief Executive Officer and Committees of the Board under section 11 ;
- (d) the mode of recruitment, salary and allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board under sub-section (2) of section 12 ;
- (e) the manner of disinvestment of assets of any Government agency under section 14 ;
- (f) to regulate competitive bidding under section 16 ;
- (g) to decide the manner in which an identified project is to be developed for private sector participation under section 17 ;

- (h) the procedure for dealing with risks associated with various infrastructure projects under section 18 ;
- (i) the manner of competitive bidding or other methods to be followed under section 20 ;
- (j) fee to be charged under section 21 ;
- (k) the form and manner in which the accounts of the Board shall be prepared and maintained under sub-section (1) of section 26 ;
- (l) the form in which an annual statement of accounts of the Board shall be prepared under sub-section (2) of section 26; and
- (m) the form in which and the time at which an annual report of the Board shall be prepared under sub-section (1) of section 27.

SCHEDULE-I

[See section 1(3)]

INFRASTRUCTURE PROJECTS

1. State Highways including Roads, Bridges, Bye passes and related Road Infrastructure.
2. Inland Waterways.
3. Power including Power Generation, Transmission and Distribution System project.
4. Water projects including dams, water storage, water supply and sewerage system projects.
5. Gas pipelines or related facilities.
6. Urban Infrastructure including shopping and commercial complexes, parking lots, solid waste management and transportation facilities etc.
7. Tourism project including resorts, adventure and winter sports facilities, cable cars and ski lifts and entertainment complexes etc.
8. Industrial estates, industrial areas, parks including development of parks offering facilities to projects like information technology and biotechnology etc.
9. Satellite townships offering general purpose real estate or specifically focussed on provision of education, health, resort or entertainment facilities.

10. Any other infrastructure projects, notified by the State Government.

SCHEDULE-II

[See sections 2 (c) and 15 (a)]

NATURE OF CONCESSION AGREEMENT OR ARRANGEMENT

The following concession agreement or arrangement with variations and combinations may be arrived at by the Government agency or the local authority for undertaking infrastructure project with private sector participation

1. *Build Own/Operate and Transfer Agreement or Arrangement.*—An agreement or arrangement whereby the developer undertakes to finance, construct, maintain and operate a project and whereby such project is to vest in the developer for a specified period. During the period of operation of the project by developer, he may be permitted to charge user charges as specified in an agreement or arrangement. The developer is required to transfer the project to the State Government or a Government agency after the expiry of the period of operation.

2. *Build Own Operate and Maintain Agreement or Arrangement.*—An agreement or arrangement whereby a developer undertakes to finance, construct, operate and maintain a project and whereby such project is to vest in developer for a specified period. During the period of operation of the project, he may be permitted to charge user charges as specified in the agreement or arrangement.

3. *Lease Management Agreement or Arrangement.*—An agreement or arrangement whereby the State Government or a Government agency leases a project owned by the State Government or the Government agency to the person who is permitted to operate and maintain the project for the period specified in the agreement or arrangement and to charge user charges therefor.

4. *Rehabilitate/Operate and Transfer Agreement or Arrangement.*—An agreement or arrangement whereby an existing project is vested in a person to renovate, operate and maintain for the period specified in the agreement or arrangement after the expiry of which the project is required to be transferred to the State Government or a Government agency. During the period of operation of the project by the developer, he may be permitted to charge user charges as specified in the agreement or arrangement.

5. *Rehabilitate Own Operate and Maintain Agreement or Arrangement.*—An agreement or arrangement whereby an existing project is vested in a person to renovate, operate and maintain. The developer shall be permitted to charge user charges as specified in the agreement or arrangement.

6. *Management Agreement or Arrangement.*—An agreement or arrangement whereby the State Government or the Government agency entrusts the operation and management of a project to a person for

the period specified in the agreement or arrangement on payment of specified consideration. In such agreement, the State Government or the Government agency concerned may charge user charges and collect the same either itself or entrust the collection for consideration to any person who shall after collecting the user charges pay the same to the State Government or the Government agency.

7. Service-Contract Agreement or Arrangement.—An agreement or arrangement whereby a developer undertakes to provide services to the State Government or a Government agency for the specified period. The State Government or Government agency shall pay him an amount in accordance with the agreement or arrangement.